

प्रेषक,

श्याम सुन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रोग्रेस विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2000

विषय:- मण्टोरा पब्लिक स्कूल बिठूर रोड, कल्याणपुर कानपुर को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्टोरा पब्लिक स्कूल बिठूर रोड कल्याणपुर कानपुर को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 11 विद्यालय को पंजीकृत सोतायटी का सम्य-सम्य पर नवीनीकरण करवा जायेगा ।
- 12 विद्यालय को प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा
- 13 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजा के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी । यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे ।
- 15 संस्था शैक्षिक एवं शिष्टोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे ।
- 16 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।

राज्य सरकार द्वारा सम्य-सम्य पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें उनका पालन करेगी ।

PRINCIPAL
Mantora Public School
Berj, Bithoor Road,
Kalyanpur, Kanpur

- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्याम सुन्दर अग्निहोत्री
संयुक्त सचिव ।

पू0सं0-2460/15-7-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर ।
- 4- निरीक्षक, अग्निल भारतीय विद्यालय, 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, मटोरा पब्लिक स्कूल बितूरडोड कल्याणपुर कानपुर ।
- 6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

श्याम सुन्दर अग्निहोत्री
संयुक्त सचिव ।

PRINCIPAL
Mantora Public School
Beri, Bithoor Road,
Kalyanpur, Kanpur

Vishwanath